पत्रांक– आ0प्र0–02/2009/....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में

उप सचिव
बिहार विधान परिषद्,
पटना।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **श्री बद्री नारायण एवं श्री परमानन्द सिंह यादव, मा0स0वि0प0 के तारांकित प्रश्न संख्या–12 दिनांक–20.06.1996 के उत्तर से उद्भूत आश्वासन संख्या–01/123वॉ सत्र का कार्यान्वयन (अनुपालन) प्रतिवेदन का प्रेषण।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन (पत्रांक–1555 क/आ0प्र0 दिनांक–21.11.2014) के अनुसार कार्यान्वयन प्रतिवेदन निम्नवत है :–

" दानापुर नाव दुर्घटना में 59 मृतकों, जिनकी लाश की पहचान कर ली गई थी एवं अन्तपरीक्षण किया गया था, उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में रू0 1.05 लाख (एक लाख पाँच हजार) रूपये का भुगतान उचित पहचान कर जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। इस संबंध में कोई मामला लंबित नहीं है। "

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुरोध है कि विषयांकित तारांकित प्रश्न के उत्तर से उद्भूत विषयाधीन आश्वासन संख्या–**01/123वॉ सत्र** को इस विभाग की ओर से कार्यान्वित मानते हुए बिहार विधान परिषद् की लंबित सूची से मुक्त करने का अनुरोध तारांकित प्रश्न एवं आश्वासन समिति से करने तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–........................../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4556/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 22/12/14

प्रतिलिपि–सुश्री कविता कुमारी, आई0 टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

\\Pc22-pc\d\2014\Sanjay sir 2014\letter 18-12-14.docx